128
12/1/17

संख्या – /XLI-1/17–24(प्रशि0)/2013टी0सी0

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण विभाग,
हल्द्वानी–नैनीताल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक : 4 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक के माध्यम से एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 तथा अनु0जाति/अनु0 जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या 828/XVII(1)/16–99(प्रकोष्ठ)/2010 दिनांक 01 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0सी0एस0पी0 एवं टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से निम्नलिखित धनराशि को अवमुक्त करते हुए निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(क) एस0सी0एस0पी0:– लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 02–अनुसूचित जातियों का कल्याण, 0201–आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान)।

वित्तीय वर्ष 2017–18 **अनुदान संख्या 30** **(धनराशि हजार रू0 मे)**

मद संख्या एवं मद का नाम	बजट प्राविधान	अवमुक्त
12– कार्यालय फर्नीचर उपकरण	1000	1000
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	600	600
42– अन्य व्यय	10000	10000
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1000	1000
47– कम्प्यूटर अनु0 एवं तत्संम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1000	1000
योग	**₹13600**	**₹13600**

योग :– 13600/–हजार(रूपये एक करोड छत्तीस लाख मात्र)

(ख) टी0एस0पी0:– लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना, 0301–आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (ट्रायबल सब प्लान)।

वित्तीय वर्ष 2017–18 **अनुदान संख्या 31** **(धनराशि हजार रू0 मे)**

मद संख्या एवं मद का नाम	बजट प्राविधान	अवमुक्त
12– कार्यालय फर्नीचर उपकरण	500	500
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200	200
42– अन्य व्यय	4000	4000
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	200	200
47– कम्प्यूटर अनु0 एवं तत्संम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	150	150
योग	**₹5050**	**₹5050**

योग :– 5050/–हजार (रूपये पचास लाख पचास हजार मात्र)

2— वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

3— व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4— किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेंट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5— यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6— अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के समस्त स्थापित नियमों/शासनादेशों का उपरोक्त धनराशि का व्यय करते समय पालन किया जाएगा।

7— अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां शासनादेश संख्या बी–2–2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत की जाय, जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

7— विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8— चालू कार्यों में सर्वप्रथम धनराशि उन परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जायेगी, जिन निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की स्थिति अच्छी हो।

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 30 एवं 31 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्षकों से वहन किये जायेगें।

10— यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत **संलग्न 01 एवं 02** विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

11— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 475 (1)/XLI-1/17–24(प्रशि0)/2013.T.C. तद्दिनांकित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाकारी, हल्द्वानी–नैनीताल।
4. आयुक्त कुमांऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल।
7. मुख्य वित्त अधिकारी,प्रशिक्षण, हल्द्वानी–नैनीताल।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।